प्रकरण संख्या 45/2017 भंवरसिंह बनाम कोदरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया। उक्त विलम्ब अल्पावधि का होने के कारण मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में हमारे द्वारा सुनी गयी बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2015 को प्रारम्भिक डिक्री करते समय वादी का 1/3 हिस्सा मानते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, परन्तु पुनः दिनांक 17.05.2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी का जो पूर्व में 1/3 हिस्सा माना था उसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उसे 1/6 हिस्सा मानकर 1/6 हिस्से की प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपने निर्णय व डिक्री में संशोधन किया गया है, जो स्पष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए अपने स्वयं की निर्णय को परिवर्तित करने के लिए विधिक प्रावधानों के तहत ही उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.12.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 45/2017 भंवरसिंह बनाम कोदरसिंह